

न्यायालय— श्रीमती सपना पोर्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ (म0प्र0)

कमांक— 462 /2024

टीकमगढ़, दिनांक 31.07.24

—:: **विविध आदेश** ::—

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पूर्व में जारी कार्य विभाजन संबंधी विविध आदेश कमांक 462/2024 दिनांक 20.07.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

(1) कार्यविभाजन संबंधी उक्त आदेश दिनांक 20.07.2024 के पृष्ठ कमांक 15 पर श्री उपमन्यु शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ओरछा की कण्डिका कमांक 8 एवं 9 के 'अधिकार क्षेत्र' के कॉलम में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स.क.	कार्य विभाजन
	श्री उपमन्यु शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ओरछा, सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र— सिमरा, जैरोन एवं पृथ्वीपुर (केवल नैगुवा राजस्व वृत्त) जिला निवाडी	8	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	—“—	—“—	9	संबंधित आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रतिवेदन

(2) कार्यविभाजन संबंधी उक्त आदेश के चार्ज प्रभार में "टीकमगढ़" के अंतर्गत पृष्ठ कमांक 18 पर सरल कमांक 11 के उपरांत निम्नानुसार सरल कमांक 12 की पंक्ति जोड़ी जाती है :-

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्तम्भ क. 1	स्तम्भ क. 2	स्तम्भ क. 3
12	श्रीमती जया दीक्षित, जेएमएफसी, टीकमगढ़	श्री मुदित लटौरिया, जेएमएफसी, टीकमगढ़	सुश्री रिशु भगत जेएमएफसी टीकमगढ़	श्रीमती नूतन रावते, जेएमएफसी, टीकमगढ़

(3) कार्यविभाजन संबंधी उक्त आदेश के चार्ज प्रभार में "जतारा" के अंतर्गत पृष्ठ कमांक 18 पर "श्री नारायण यादव, जे.एम.एफ.सी. टीकमगढ़" के स्थान पर "श्री नारायण यादव, जे.एम.एफ.सी. जतारा" प्रतिस्थापित किया जाता है।

(4) कार्यविभाजन संबंधी उक्त आदेश में धारा बी.एन.एस.एस. 2023 के कथनों के संबंध में पूर्व में जारी कार्यविभाजन आदेश में संशोधन करते हुए, निम्नानुसार नोट कमांक 15, 16 एवं 17 जोड़ा जाता है :-

नोट कमांक 15 — धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन अंकित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स.क.	कार्य विभाजन
टीकमगढ़ :-				
1-	सुश्री रिशु भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0	पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन	1	आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, अ.जा.क. टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, बल्देवगढ़, दिगौड़ा, खरगापुर, बुड़ेरा, बड़ागांव, कुडीला एवं मोहनगढ़ द्वारा प्रस्तुत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों में धारा-183 बी.एन.एस.एस. के कथन/संस्वीकृति। (जिला मुख्यालय टीकमगढ़ में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन)




क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स.क.	कार्य विभाजन
2-	श्रीमती नूतन रावते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म०प्र०	महिला संबंधी मामलों के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन	1	आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, अ.जा.क. टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, बल्देवगढ़, दिगौड़ा, खरगापुर, बुड़ेरा, बड़ागांव, कुडीला एवं मोहनगढ़ द्वारा प्रस्तुत महिला संबंधी समस्त मामलों के अंतर्गत धारा-183 बी.एन.एस.एस. के कथन/संस्वीकृति। (जिला मुख्यालय टीकमगढ़ में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के महिला संबंधी मामलों के कथन)
3-	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म०प्र०	धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन	1	आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, अ.जा.क. टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, बल्देवगढ़, दिगौड़ा, खरगापुर, बुड़ेरा, बड़ागांव, कुडीला एवं मोहनगढ़ द्वारा प्रस्तुत अन्य धाराओं के धारा-183 बी.एन.एस.एस. के कथन/ संस्वीकृति। (जिला मुख्यालय टीकमगढ़ में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन, गैर महिला संबंधी अन्य प्रकरणों में)
जतारा :-				
4-	श्रीमती संगीता डाबर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा जिला टीकमगढ़ म०प्र०	पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन	1	आरक्षी केन्द्र जतारा, पलेरा, चंदेरा, बम्हौरीकलां, लिधौरा द्वारा प्रस्तुत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों में धारा-183 बी.एन.एस.एस. के कथन/संस्वीकृति। (व्यवहार न्यायालय जतारा में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन)
5-	सुश्री विजया भारती यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा जिला टीकमगढ़ म०प्र०	महिला संबंधी मामलों के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन	1	आरक्षी केन्द्र जतारा, पलेरा, चंदेरा, बम्हौरीकलां, लिधौरा द्वारा प्रस्तुत धारा-183 बी.एन.एस.एस. के कथन/संस्वीकृति। (व्यवहार न्यायालय जतारा में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के महिला संबंधी मामलों के कथन)
6-	श्री नारायण यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा, जिला टीकमगढ़ म०प्र०	धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन	1	आरक्षी केन्द्र जतारा, पलेरा, चंदेरा, बम्हौरीकलां, लिधौरा द्वारा प्रस्तुत अन्य धाराओं के धारा-183 बी.एन.एस.एस. के कथन/ संस्वीकृति। (व्यवहार न्यायालय जतारा अंतर्गत कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन, गैर महिला संबंधी अन्य प्रकरणों में)
निवाड़ी :-				
7-	श्रीमती सोनम वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म०प्र०	पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन	1	आरक्षी केन्द्र कोतवाली निवाड़ी, महिला थाना निवाड़ी, सैंदरी, टेहरका, पृथ्वीपुर (नैगुवां वृत्त को छोड़कर), जेरोन, सिमरा, ओरछा एवं पृथ्वीपुर (नैगुवां वृत्त) द्वारा प्रस्तुत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों में धारा-183 बी.एन.एस.एस. के कथन/संस्वीकृति। (व्यवहार न्यायालय निवाड़ी में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन)

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स.क.	कार्य विभाजन
8-	सुश्री के.शिवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	महिला संबंधी मामलों के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन	1	आरक्षी केन्द्र कोतवाली निवाड़ी, महिला थाना निवाड़ी, सेंदरी, टेहरका, पृथ्वीपुर (नैगुवां वृत्त को छोड़कर) द्वारा प्रस्तुत धारा-183 बी.एन.एस.एस. के कथन/संस्वीकृति। (व्यवहार न्यायालय निवाड़ी में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के महिला संबंधी मामलों के कथन)
9-	श्री मनीष छापरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन	1	आरक्षी केन्द्र कोतवाली निवाड़ी, महिला थाना निवाड़ी, सेंदरी, टेहरका, पृथ्वीपुर (नैगुवां वृत्त को छोड़कर) द्वारा प्रस्तुत अन्य धाराओं के धारा-183 बी.एन.एस.एस. के कथन/ संस्वीकृति। व्यवहार न्यायालय निवाड़ी अंतर्गत कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन, गैर महिला संबंधी अन्य प्रकरणों में)
ओरछा :-				
10	श्री उपमन्यु शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ओरछा सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	महिला संबंधी मामलों के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन	1	आरक्षी केन्द्र ओरछा, जेरोन, सिमरा, पृथ्वीपुर (केवल नैगुवां राजस्व वृत्त) द्वारा प्रस्तुत अन्य धाराओं के धारा-183 बी.एन.एस.एस. के कथन/ संस्वीकृति। (व्यवहार न्यायालय ओरछा अंतर्गत कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन, गैर महिला संबंधी अन्य प्रकरणों में)
11	श्री राघवेन्द्र पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ओरछा सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन	1	आरक्षी केन्द्र ओरछा, जेरोन, सिमरा, पृथ्वीपुर (केवल नैगुवां राजस्व वृत्त) द्वारा प्रस्तुत धारा-183 बी.एन.एस.एस. के महिला संबंधी मामलों के कथन/संस्वीकृति। (व्यवहार न्यायालय ओरछा में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के महिला संबंधी मामलों के कथन पॉक्सो एवं एस.सी./एस.टी. प्रकरणों को छोड़कर)

नोट कमांक 16— धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथनों को संबंधित थाना क्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में सुरक्षित रखा जावेगा तथा पुलिस द्वारा अभियोग पत्र/खारिजी प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय से प्राप्त कर संलग्न किया जावेगा।

नोट कमांक 17— धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन महिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में प्रभार वाले पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला कर्मचारी की उपस्थिति में अभिलिखित किये जावेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(श्रीमती सपना पोर्ते)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक- 482(117)/2024


टीकमगढ़, दिनांक 31/07/24

प्रतिलिपि:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. माननीय जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता) वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, टीकमगढ़ म.प्र. की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर सूचनार्थ एवं जिले से संबंधित विभागों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर सूचनार्थ एवं जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
7. श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश महोदय, कुटुम्ब न्यायालय, जिला टीकमगढ़ म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) महोदय, टीकमगढ़ म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. श्रीमान् समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को मेल किये जाने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित किए जाने बाबत्।
11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
12. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
13. जिला अभियोजन अधिकारी टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं समस्त अभियोजन अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।
14. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. सिस्टम ऑफिसर/एस.ए., टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय फाईलिंग काउंटर टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. निष्पादन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

नोट:-

यह कार्यविभाजन पत्रक में संशोधन करने संबंधी विविध आदेश ई-मेल पर संसूचित किया जा रहा है, इसलिए पृथक से नहीं भेजा जा रहा है।


 (श्रीमती सर्पना पोर्ते)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 टीकमगढ़ म0प्र0